2024:CGHC:18205-DB

माध्यस्थम अपील क्र. 51 / 2023
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश प्रदत्त किया गया : 10/06/2024

माध्यस्थम अपील क्र. 51 / 2023

{न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय (जिला स्तर), नया रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा माध्यस्थम विविध न्यायिक प्रकरण क्र. 26/ 2023 में पारित आदेश दिनांक 1–11–2023 से उत्पन्न}

1. अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, पेंशन बाड़ा, रायपुर 492001, छत्तीसगढ़

---अपीलार्थी

विरुद्ध

1. ई.सी.आई–कीस्टोन (जे.वी.) द्वारा प्रबंध निदेशक, मकान क्र. 8–2–338/6, रोड नं.3, पंचवटी कॉलोनी, बंजारा हिल्स, हैदराबाद 500034

---- उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी के लिए :	श्री प्रफुल्ल एन. भारत, महाधिवक्ता, सहित श्री अतानु घोष, उप. शासकीय अधिवक्ता
उत्तरवादी के लिए :	श्री शिशिर भंडारकर, श्री पूर्वेश बुट्टन और श्री शोभित मिश्रा, अधिवक्तागण।

माननीय श्री गौतम भादुड़ी, न्यायाधीश. एवं
माननीय श्री संजय एस. अग्रवाल, न्यायाधीश
सी. ए. वी निर्णय

श्री गौतम भादुड़ी, न्यायाधीश द्वारा _

1. यह अपील मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (इसके पश्चात 'अधिनियम, 1996') की धारा 37 के अंतर्गत न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय (जिला स्तर), नया रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–11–2023 (अनुलग्नक–ए/1) के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें धारा 34 के अंतर्गत आवेदन दाखिल करने में विलंब के लिए क्षमा मांगने हेतु अधिनियम, 1996 की धारा 34 (3) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थी–अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग ने अपील प्रस्तुत की ।

<u>माध्यस्थम अपील क्र. 51 / 2023</u>

2. (i) इस प्रकरण में शामिल तथ्य यह है कि संयुक्त उद्यम कंपनी ई.सी.आई–कीस्टोन ने एल.डब्ल्यू.ई योजना के तहत भोपालपट्टनम से जगदलपुर तक कुछ अलग–अलग दूरी पर दो लेन की सड़क के निर्माण के लिए एक संविदा करार किया था। संविदा की कीमत ₹ 184,54,47,686.69 थी। यह स्वीकृत है की, उत्तरवादी को 30–6–2019 तक विस्तार दिया गया था। संविदा के निष्पादन के दौरान, पक्षों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुए, जिसके कारण संविदा के खंड 25.3 (ए) के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति हुई। उत्तरवादी ने संविदा की विशेष शर्त के तहत मध्यस्थता खंड का आह्वान किया। अपीलार्थी विभाग ने भी ऐसी नियुक्ति को स्वीकार कर लिया, परिणामस्वरूप, एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया। इसके बाद, सड़क मंत्रालय ने विभाग को सलाह दी कि चूंकि परियोजना में बहुत अधिक दाँव शामिल था, इसलिए खंड 25.3 के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता तीन मध्यस्थों के पैनल द्वारा की जानी चाहिए। नतीजतन, एक आवेदन पेश किया गया और हालांकि दिनांक 16–8–2021 को विभाग द्वारा प्रारंभिक सहमति वापस ले ली गई, लेकिन उस समय तक कार्यवाही एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष आयोजित की गई और पंचाट दिनांक 2–9–2022 को पारित किया गया (अनुलग्नक – ए / 2)।

(ii) उक्त मध्यस्थता पंचाट को अपीलार्थी द्वारा वाणिज्यिक न्यायालय (जिला स्तर), नया रायपुर, छत्तीसगढ़ के समक्ष अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत एक आवेदन, साथ ही धारा 36 (3) के तहत स्थगन आदेश के लिए आवेदन और धारा 34 (3) के तहत विलंब को माफ करने के लिए आवेदन दायर करके चुनौती दी गई थी, जिसमें इस आधार पर पंचाट को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी कि अपीलार्थी को प्रकरण पेश करने की अनुमति नहीं थी और एकपक्षीय पंचाट को निरस्त करने की प्रार्थना की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iii) अपीलार्थी के अनुसार, मध्यस्थता पंचाट पर अपीलार्थी द्वारा ना ही हस्ताक्षर किए गए थे और ना ही उसे पंचाट प्राप्त हुआ था तथा उसे हाल ही में पंचाट की केवल एक छायाप्रति प्राप्त हुई। तिथिवार घटनाक्रम इस प्रकार है:

- 10–2–2023 को निष्पादन कार्यवाही के समन्स के साथ पंचाट की प्रति प्राप्त हुई;
- तत्पश्चात, 11–3–2023 को पंचाट की हस्ताक्षरित प्रति की मांग की गई;
- 14–3–2023 को एकमात्र मध्यस्थ द्वारा उत्तर भेजा गया जिसमें कहा गया कि उन्होंने पहले ही अपीलार्थी को पंचाट भेज दिया है;
- अधीक्षण अभियंता ने दिनांक 17–3–2023 के पत्र द्वारा सूचित किया कि पंचाट की प्राप्ति के संबंध में कार्यालय रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है;
- तत्पश्चात, 20–3–2023 को अधीक्षण अभियंता द्वारा महाधिवक्ता के कार्यालय से विधिक राय मांगी गई;
- 23–3–2023 को विधिक राय भेजी गई;

- इसके बाद 24–3–2023 को पुनः अधीक्षण अभियंता द्वारा एकमात्र मध्यस्थ को पंचाट की हस्ताक्षरित प्रति भेजने के लिए पत्र भेजा गया;
- इसके उत्तर में 25–3–2023 को एकमात्र मध्यस्थ ने उत्तर दिया कि पंचाट पंजीकृत डाक से भेज दिया गया है;
- तत्पश्चात 27–4–2023 को अधीक्षण अभियंता ने मुख्य अभियंता को पत्र लिखकर दोषी लिपिक के विरुद्ध विभागीय जांच की मांग की;
- 27–4–2023 को पुलिस में शिकायत की गई;
- पुनः अधीक्षण अभियंता द्वारा एकमात्र मध्यस्थ को दिनांक 24–5–2023 को पत्र भेजकर पंचाट की हस्ताक्षरित प्रति मांगी गई;
- तत्पश्चात अपील दायर की गई।

(iv) विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय ने पाया कि चूंकि पंचाट दिनांक 2–9–2022 को पारित किया गया था और इसे रद्द करने के लिए आवेदन नौ महीने बाद दिनांक 27–5–2023 को दायर किया गया था, इसलिए आवेदन समय बाधित था और तदनुसार इसे आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। इस प्रकार, यह अपील प्रस्तुत की गई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. (क) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता ने कथन प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 1996 की धारा 31(5) के अनुसार मध्यस्थ का यह दायित्व है कि वह प्रत्येक पक्ष को निर्णय की हस्ताक्षरित प्रति प्रदान करे। उन्होंने कथन किया कि अपीलार्थी को निर्णय की हस्ताक्षरित प्रति नहीं दी गई। उनके अनुसार, विभाग को निष्पादन आवेदन के साथ पंचाट की छायाप्रति दिनांक 10–2–2023 को प्राप्त हुई और तुरंत दिनांक 11–3–2023 को पंचाट की हस्ताक्षरित प्रति प्रदान करने के लिए अनुरोध पत्र भेजा गया। विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि मध्यस्थ ने कहा है कि उन्होंने पूर्व में ही पंजीकृत डाक से पंचाट की हस्ताक्षरित प्रति भेज दी है, लेकिन विभाग द्वारा प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 17–3–2023 को फिर से पत्र वयवहार किया गया और पंचाट की हस्ताक्षरित प्रति प्रदान करने का अनुरोध किया गया। उन्होंने कथन किया कि निर्णय की प्रति मांगी गई थी, इसे भी मध्यस्थ ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि इसे पहले ही पंजीकृत डाक से भेजा जा चुका है। विद्वान अधिवक्ता ने कथन प्रस्तुत किया कि चूंकि अधिनियम, 1996 की धारा 31(5) के अंतर्गत पंचाट की हस्ताक्षरित प्रति तामील नहीं की गई है, इसलिए अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने का कोई वाद कारण नहीं बनता है।

(ख) विद्वान अधिवक्ता द्वारा ***महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम ए.आर.के बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड***[1] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया गया ओर यह कथन किया कि इस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि हस्ताक्षरित प्रति विधि द्वारा निर्धारित तरीके से पक्षकार को सौंपी जानी चाहिए। उन्होंने ***भारत संघ बनाम टेक्को त्रिची इंजीनियर्स***

[1] (2011) 4 SCC 616

एंड कॉन्ट्रैक्टर्स[2] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया और कथन किया की आवश्यक पक्षकार कौन हैं और किसी लिपिक द्वारा आदेश की प्राप्ति को भी एक प्रति भेजना माना जाएगा। उन्होने ***दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड बनाम नेवीगेंट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड***[3] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब यह कथन करने के लिए लिया कि धारा 31(1) अनिवार्य शर्तों में लिखी गई है और आदेश की हस्ताक्षरित प्रति पक्षकारों को देना आवश्यक है।

(ग) कुछ दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए, यह कथन प्रस्तुत किया गया कि यह आधिकारिक कार्य का काफी उपधारणात्मक मूल्य है, कि यह दिखाने के लिए कि विभाग काफी चुस्त था, हालांकि, यदि पंचाट की हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त नहीं की गई है जैसा कि अधिनियम, 1996 की धारा 31 (5) में उल्लेख किया गया है तो वाद कारण ही उत्पन्न नहीं हुआ। विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे कथन प्रस्तुत किया कि इस स्तर पर, उन्होंने मध्यस्थ पंचाट की विधिकता और वैधता के मुद्दे पर ज़ोर नहीं दिया है और अपने तर्कों को केवल मध्यस्थ पंचाट की हस्ताक्षरित प्रति की प्राप्ति और परिसीमा तक सीमित रखा है चूंकि चुनौती, आवेदन के परिसीमा से बाधित होने के कारण खारिज करने के संबंध में है, यह कथन किया गया है कि वर्तमान में पंचाट की यथार्थता के बारे में अन्य विवाद्यक वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष उठाया जाना अपेक्षित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. (क) उत्तरवादी के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने, समानांतर स्तंभ में, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों का जोरदार विरोध करते हुए यह कथन प्रस्तुत किया की मध्यस्थ पंचाट की तामीली बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है, जैसा कि पूर्व में ही दिनांक 2–9–2022 को पारित पंचाट की सूचना ई–मेल द्वारा दी गई थी और उसके बाद, हस्ताक्षरित पंचाट की मूल प्रति पंजीकृत पोस्ट के माध्यम से भेजी गई थी। पंचाट की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि दिनांक 7–9–2022 को विभाग द्वारा प्राप्त की गई थी। उन्होंने कथन प्रस्तुत किया कि फिर से यह पंचाट ई–मेल दिनांक 8–9–2022 के माध्यम से तामिल किया गया और ई–मेल दिनांक 2–9–2022 के अनुलग्नक का प्रिंटआउट दिनांक 7–9–2022 को उत्तरवादी के प्रतिनिधि द्वारा दस्ती यानि अपने हाथों से तामिल किया गया था। उन्होंने यह भी कथन प्रस्तुत किया की तत्कालीन अधीक्षण अभियनता नागेश कुमार जयंत के शपथ पत्र में कथन से यह दर्शित होता है की किसी तीसरे व्यक्ति ने उन्हें दिनांक 7–9–2022 के पंचाट की प्रति के तामिल की है। उक्त तथ्य से, यह प्रकट होता है कि विभाग इस तथ्य के बारे में बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था कि पंचाट पारित हो गया है और वही पकड़े हुए था।

(ख) विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने पंचाट की प्रति की तामिली के संबंध में एक अलग रुख अपनाया और तथ्यों को गढ़ने की कोशिश की और अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत आवेदन में अलग रुख लिया है। यह कथन प्रस्तुत किया कि सच्चाई तब सामने

[2] (2005) 4 SCC 239
[3] (2021) 7 SCC 657

आई जब वाणिज्यिक न्यायालये द्वारा हलफनामे लिया गया, जो दिखाता है कि पंचाट की प्रति तामिल की गई थी। उन्होंने कथन प्रस्तुत किया कि विभाग को दिनांक 7–9–2022 को पंजीकृत पोस्ट के द्वारा दिनांक 2–9–2022 के मध्यस्थतम पंचाट की मूल प्रति प्राप्त हो गई थी और दिनांक 8–9–2022 को ई–मेल के द्वारा मूल मध्यस्थतम पंचाट प्राप्त हुआ था और बाद में पंचाट की प्रति उनके कार्यालय में दस्ती से प्राप्त हुई थी।

(ग) ***भारत संघ बनाम भोला प्रसाद***[4] *में* इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय ***युवा मामले और खेल मंत्रालय, बंदरगाहों के विभाग, भारत सरकार बनाम अर्नस्ट और यंग प्राइवेट लिमिटेड (अब अर्नस्ट और यंग एल.एल.पी के रूप में जाना जाता है) और एक अन्य***[5]; और ***दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड बनाम लाखविंदर सिंह***[6] के प्रकरण में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का उल्लेख करते हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन प्रस्तुत किया गया कि ई–मेल द्वारा भी पंचाट की प्रति पर्याप्त होगी और यह प्रतिकूल होगा अगर पंचाट की अभिव्यक्ति 'हस्ताक्षरित प्रतिलिपि' को एक प्रतिबंधात्मक तरीके से पढ़ा गया तो।

(घ) ***राहुल बनाम अकोला जंता***[7] के प्रकरण में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए निर्णय का अवलंब लेते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया की केवल पक्षकार को पंचाट के अस्तित्व, प्रभाव और पंचाट के आयात के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए। उन्होंने कथन प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने आवेदन के साथ कोई दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया है, बतौर उदाहरण अपीलार्थी के धारा 34 (3) के तहत के आवेदन पर उत्तरवादी के जवाब की प्रतिलिपि; श्री सुरेंद्र कुमार मांझी के हलफनामे की प्रति के साथ दस्तावेजों की छायाप्रति, जो वाणिज्यिक न्यायालये के समक्ष दायर किए गए थे; और हलफनामे की प्रतिलिपि के साथ उत्तरवादी द्वारा दायर दस्तावेजों के पूर्ण सेट की प्रतिलिपि अन्यथा तथ्य दिखाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ड़) विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि महत्वपूर्ण दस्तावेज जिन्हे जानबूझकर रोका गया है उससे पता चलता है कि विवाद्यक से ध्यान हटाने के उद्देश्य से गलत तर्क प्रस्तुत किए गए हैं और एक उल्टा रजिस्टर रखा गया, जिससे अपीलार्थी ने छलावरण बनाने की कोशिश की, जिसे स्वीकार्य नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि पंजीकृत पोस्ट द्वारा पंचाट की प्रतिलिपि भेजने के बाद और, उसे प्राप्त करने के बाद, यह नहीं कहा जा सकता कि पंचाट की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है। डाक रसीदों के साथ एकमात्र मध्यस्थ का पत्र एक उपधारणात्मक कीमत धारण करता है और कथन के द्वारा इसका खंडन नहीं किया गया है। इस प्रकार, अपीलार्थी के आचरण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक न्यायालय ने प्रारंभिक स्तर पर ही आवेदन को खारिज कर दिया, जो सारवान है और इस न्यायालय के किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

[4] 2022 SCC Online Chh 1644
[5] 2023 SCC Online Del 5182
[6] 2017 SCC Online Del 9810
[7] 2023 SCC Online Bom 814

5. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और दस्तावेजों का परिशीलन किया।

6. अभिलेख के अनुसार अलग–अलग अंतःक्षेपिय स्थानों पर दो लेन रोड के निर्माण के लिए दिनांक 01–12–2012 को पक्षों के मध्य संविदा निष्पादित की गयी थी। संविदा के पक्ष अधीक्षण अभियंता, नेशनल हाइवे सर्कल, पीडब्लूडी, छत्तीसगढ़ की सरकार थे, जो कि अनुदानकर्ता के नाते थे और ई.सी.आई कीस्टोन संयुक्त उद्यम ठेकेदार थे। संविदा को समय –समय पर बढ़ाया गया था। जब विवाद उत्पन्न हुआ, तो मध्यस्थता का आह्वान दिनांक 13–7–2020 को किया गया था। इस पंचाट से पता चलता है दोनों पक्षों की आपसी सहमति को दर्ज करते हुए उत्तरवादी (यहां अपीलार्थी) ने अपने पत्र द्वारा दिनांक 10–8–2020 द्वारा मध्यस्थ की नियुक्त की ।

7. पंचाट का पैरा 8 वर्तमान प्रकरण के तथ्यों के लिए प्रासंगिक है, जो मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सहमति के संबंध में है, इसलिए, वही, नीचे उद्धृत किया गया है:

> उपर्युक्त संविदा करार अधीक्षण अभियंता, एनएच सर्कल, पी.डब्ल्यू.डी., रायपुर, छत्तीसगढ़ और मेसर्स ई.सी.आई–कीस्टोन (जे.वी), हैदराबाद, तेलंगाना के मध्य किया गया था।
>
> संविदा के पक्षकारों के मध्य कुछ विवाद उत्पन्न हुए हैं, जो सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं सुलझा, और जैसा कि ठेकेदार ने अपने पत्र क्र. ECI–Keystone/NH–63/2019/4 दिनांक 30.03.2020 (संदर्भ के लिए संलग्न प्रतिलिपि) के माध्यम से मध्यथम के द्वारा विवादों के निर्णय के लिए संविदा की विशेष शर्तों के खंड 25.3 के अनुसार मध्यस्थता का आह्वान किया है।
>
> दोनों पक्षों ने संविदा की विशेष शर्तों के खंड 25.3 के अनुसार विवादों को एकमात्र मध्यस्थ को संदर्भित करने के लिए पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की है। अब, ठेकेदार की सहमति से, मैं आपके ठेकेदार द्वारा संदर्भित विवादों पर निर्णय लेने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करता हूं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. पहली सुनवाई दिनांक 08–09–2020 को की गई थी और अपीलार्थी ने बचाव में कथन प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा था। पंचाट से पता चलता है कि अपीलार्थी के अनुरोध पर तारीखें आगे बढाई गई थीं और अधिकरण द्वारा स्थगन प्रदान किए गए थे और हालांकि इस बीच, कोविड –19 महामारी के प्रकोप के कारण और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, परिसीमा को बढ़ाया गया था और हालांकि न्यायाधिकरण ने, अंततः अपीलार्थी द्वारा बचाव के कथन को प्रस्तुत करने की तारीख दिनांक 15–3–2022 तक बढ़ाई। आखिरकार, बचाव के कथन दायर नहीं किये गए। पंचाट से आगे दर्शित है कि इसके बाद, अपीलार्थी ने विभिन्न आधारों पर मध्यस्थ की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की। पंचाट के पैरा 39 यह दर्शाते हैं कि उक्त आपत्ति 22 महीने की अवधि के

बाद इस आधार पर की गई थी कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा प्रभारी अधिकारी की नियुक्त नहीं की गई है, इसलिए, मध्यस्थ नियुक्ति को रद्द करने मांग की गई थी। अपीलार्थी के उक्त तर्क को स्वीकार नहीं किया गया था और मध्यस्थ को हालांकि नियुक्त किया गया था, जिस पर आपत्ति नहीं की गई थी और अपीलार्थी ने अपना जवाब दायर करने के लिए समय मांगा था, लेकिन जवाब दायर करने के बजाय मध्यस्थ को एकतरफा हटाने के लिए मांग की। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि मध्यस्थ को अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हटाने की आवश्यकता थी, लेकिन अपीलार्थी द्वारा उस तरीके को नहीं अपनाया गया था क्योंकि मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए रद्दीकरण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। चूंकि एकमात्र मध्यस्थ पहले से ही मध्यस्थ कार्यवाही में थे, इसलिए वह उसी के साथ आगे बढ़े और अंततः यह पंचाट दिनांक 2–9–2022 को पारित किया गया। वर्तमान अपील का विवाद्यक तब उत्पन्न हुआ, जब अपीलार्थी द्वारा उक्त पंचाट को अपास्त करने का आवेदन वाणिज्यिक न्यायालय, नवा रायपुर के समक्ष दायर किया गया था, और उक्त आवेदन को परिसीमा से बाधित होने के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अपीलार्थी का तर्क था कि उन्हें पंचाट की हस्ताक्षरित प्रति तामिल नहीं की गई है और उन्हें पंचाट के बारे में तब पता चला जब उन्हें निष्पादन नोटिस प्राप्त हुआ। उक्त तर्क को वाणिज्यिक न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया और दिनांक 1–11–2023 के आदेश द्वारा अपीलार्थी द्वारा अधिनियम, 1996 की धारा 34(3) के तहत प्रस्तुत आवेदन को विलम्ब के आधार पर खारिज कर दिया, क्योंकि परिसीमा से बाधित है।

10. अधिनियम, 1996 के अनुसार पंचाट को चुनौती देने के लिए विशिष्ट अवधि की समय सीमा निर्धारित की गई है। धारा 34(3) के अनुसार पंचाट प्राप्त होने की तिथि से समय–सीमा शुरू होती है और यह प्रारंभ में तीन महीने की होती है। उसी धारा का प्रावधान उपरोक्त तीन महीने के अलावा तीस दिनों की अवधि के लिए छूट देता है, लेकिन उसके बाद नहीं।

11. संक्षिप्तता के लिए अधिनियम, 1996 की धारा 31(5) और 34(3) के प्रासंगिक भाग नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:

> **31. माध्यस्थत पंचाट का प्रारूप और विषय–वस्तु.–**
>
> xxx xxx xxx
>
> (5) माध्यस्थत पंचाट दिए जाने के पश्चात, प्रत्येक पक्षकार को उसकी एक हस्ताक्षरित प्रति दी जाएगी।
>
> **34. माध्यस्थत पंचाट को अपास्त करने के लिए आवेदन**.–
>
> xxx xxx xxx
>
> (3) अपास्त करने के लिए कोई आवेदन, उस तारीख से जिस को आवेदन करने वाले पक्षकार ने माध्यस्थत पंचाट प्राप्त किया था या यदि अनुरोध धारा

> 33 के अधीन किया गया है, तो उस तारीख से, जिस को माध्यस्थ अधिकरण द्वारा अनुरोध का निपटारा किया गया था, तीन मास के अवसान के पश्चात नही किया जाएगा।
>
> परन्तु यह कि जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक उक्त तीन मास की अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था तो वह तीस दिन की अतिरिक्त अवधि में आवेदन ग्रहण कर सकेगा किन्तु इसके पश्चात् नहीं।

12. जब संविधि के तहत विशिष्ट परिसीमा अवधि अधिकतम चार महीने निर्धारित है, तो प्रासंगिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा अधिनियम, 1996 के तहत किसी अधिनिर्णय को चुनौती देने के लिए समय की और वृद्धि प्रदान नहीं की जा सकती है।

13. ***भारत संघ बनाम वरिंदरा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड***[8] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 4 में यह अभिनिर्धारित किया है:

> 4. इस तथ्य को देखते हुए कि अपीलीय कार्यवाही मूल कार्यवाही की ही निरंतरता है, जैसा कि *लछमेश्वर प्रसाद शुकुल बनाम केश्वर लाल चौधरी* में निर्धारित किया गया है और हमारे निर्णयों में बार–बार इसका पालन किया गया है, हम महसूस करते हैं कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत खारिज किए गए या स्वीकृत किए गए आवेदन से धारा 37 के तहत अपील दायर करने में 120 दिनों से अधिक की देरी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह मध्यस्थता कार्यवाही के समग्र वैधानिक उद्देश्य को पराजित करेगा, जिसे अत्यंत शीघ्रता से तय किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. यह एक सामान्य नियम है कि केवल इसलिए कि सरकारी अधिकारी इसमें शामिल हैं, विलंब की माफी के लिए कोई अलग मानदंड निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में, ***महाराष्ट्र सरकार (जल संसाधन विभाग) कार्यकारी अभियंता द्वारा प्रतिनिधित्व बनाम बोरसे ब्रदर्स इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड***[9] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 58 और 59 में इस प्रकार निर्धारित किया:

> 58. मध्यस्थता अधिनियम और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम दोनों के तहत प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को देखते हुए, अर्थात विवादों का त्वरित समाधान, "पर्याप्त कारण" की अभिव्यक्ति अपील प्रावधान द्वारा प्रदान की गई अवधि से परे लंबी देरी को ढंकेन करने के लिए पर्याप्त लोचदार नहीं है। इसके अलावा, "पर्याप्त कारण" की अभिव्यक्ति स्वयं लापरवाह और पुराने दावों को दबाने की बुराई के लिए एक ढीला रामबाण नहीं है। इस न्यायालय ने, बसवराज बनाम एल.ए.ओ. एस.सी.सी. पृष्ठ 85–88, पैरा 9–15 [बसवराज बनाम एल.ए.ओ., में माना है:

[8]

[9] (2021) 6 SCC 460

"9. पर्याप्त कारण वह कारण है जिसके लिए उत्तरवादी को उसकी अनुपस्थिति के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। "पर्याप्त" शब्द का अर्थ "उचित" या "काफी" है, इतना जितना इच्छित उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक हो। इसलिए, "पर्याप्त" शब्द में केवल वही शामिल है जो एक सामान्य बात है, जो किसी प्रकरण में मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों में इच्छित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त कार्य किया जाता है, जिसे एक सतर्क व्यक्ति के उचित मानक के दृष्टिकोण से उचित रूप से जांचा जाता है। *इस संदर्भ में, "पर्याप्त कारण" का अर्थ है कि पक्षकार को लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए था या प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर उसकी ओर से सद्भाव की जरुरत थी या यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि पक्षकार ने "सावधानी से काम नहीं किया" या "निष्क्रिय रहा"*। हालाँकि, प्रत्येक प्रकरण के तथ्य और परिस्थितियाँ संबंधित न्यायालय को विवेक का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि जब भी न्यायालय विवेक का प्रयोग करता है, तो उसे विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करना चाहिए। आवेदक को न्यायालय को यह संतुष्ट करना होगा कि उसे अपने प्रकरण में मुकदमा चलाने से किसी "पर्याप्त कारण" द्वारा रोका गया था, और जब तक कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, न्यायालय को विलंब की क्षमा के लिए आवेदन स्वीकार नहीं करना चाहिए। न्यायालय को यह जांचना होगा कि क्या गलती वास्तविक है या यह केवल किसी निम्न उद्देश्य को छिपाने का एक तरीका था। (देखें *मनिंद्र लैंड एंड बिल्डिंग कॉर्पोरेशन बनाम भूतनाथ बनर्जी, माता दीन बनाम ए. नारायणन, परिमल बनाम वीणा और मणिबेन देवराज शाह बनाम बृहन मुंबई नगर निगम।*)

10. अर्जुन सिंह बनाम मोहिंद्रा कुमार के प्रकरण में इस न्यायालय ने "अच्छे कारण" और "पर्याप्त कारण" के बीच अंतर को स्पष्ट किया और कहा कि प्रत्येक "पर्याप्त कारण" एक अच्छा कारण है और इसके विपरीत। हालाँकि, यदि कोई अंतर मौजूद है तो वह केवल यह हो सकता है कि अच्छे कारण की आवश्यकता का अनुपालन "पर्याप्त कारण" की तुलना में कम प्रमाण पर किया जाता है।

11. पर्याप्त न्याय सुनिश्चित करने के लिए "पर्याप्त कारण" की अभिव्यक्ति को उदार व्याख्या दी जानी चाहिए, लेकिन केवल *तब तक जब तक संबंधित पक्ष पर लापरवाही, निष्क्रियता या सद्भावना की कमी का आरोप नहीं लगाया जा सकता है*, चाहे पर्याप्त कारण प्रस्तुत किया गया हो या नहीं, किसी विशेष प्रकरण के तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है और कोई सख्त फार्मूला संभव नहीं है। (द्वारा *मदनलाल बनाम श्यामलाल* और *राम नाथ साव बनाम गोबरधन साव*।)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. यह एक स्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि परिसीमा का कानून किसी विशेष पक्ष को कठोर रूप से प्रभावित कर सकता है, लेकिन जब कानून ऐसा निर्धारित करता है तो इसे पूरी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए। न्यायालय के पास साम्यिक आधार पर सीमा की अवधि बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। 'किसी वैधानिक प्रावधान से निकलने वाला परिणाम कभी भी बुरा नहीं होता है। 'जिसे वि प्रवर्तन से होने वाली समस्या समझता है उससे बचने हेतु उस उपबंध की उपेक्षा करने की शक्ति न्यायालय के पास नहीं है' वैधानिक प्रावधान किसी विशेष पक्ष को कठिनाई या असुविधा का कारण बन सकता है, लेकिन न्यायालय के पास इसे पूर्ण प्रभाव देते हुए लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कानूनी कहावत *ड्यूरा लेक्स सेड लेक्स* जिसका अर्थ है "*कानून कठोर है लेकिन यह कानून है*", ऐसी स्थिति में लागू होती है। यह लगातार माना जाता रहा है कि, "असुविधा" किसी क़ानून की व्याख्या करते समय विचार करने के लिए निर्णायक कारक नहीं है।

13. परिसीमा का क़ानून सार्वजनिक नीति पर आधारित है, इसका उद्देश्य समुदाय में शांति सुनिश्चित करना, धोखाधड़ी और झूठी गवाही को दबाना, तत्परता को बढ़ाना और उत्पीड़न को रोकना है। यह अतीत के उन सभी कार्यों को दफनाने का प्रयास करता है जो बिना किसी कारण के क्षोमित नही किए गए हैं और समय बीतने के साथ पुराने हो गए हैं। *हेल्सबरी के इंग्लैंड के कानून*, खंड 28, पैरा 605 पृष्ठ 266 के अनुसार:

> '605. *परीसीमा अधिनियमों की नीति।* –
> न्यायालयों ने परिसीमा अवधि के क़ानूनों के अस्तित्व का समर्थन करते हुए कम से कम तीन अलग–अलग कारण व्यक्त किए हैं, अर्थात्, (1) कि लंबे समय से निष्क्रिय दावों में न्याय की तुलना में क्रूरता अधिक होती है, (2) कि उत्तरवादी ने पुराने दावे को गलत साबित करने के लिए सबूत खो दिए होंगे, और (3) कि कार्रवाई के अच्छे वाद कारणों वाले व्यक्तियों को उचित तत्परता के साथ उनका पीछा करना चाहिए।'

असीमित परिसीमा असुरक्षा और अनिश्चितता की भावना को जन्म देगी, और इसलिए, परिसीमा लंबे समय तक आनंद लेने से साम्य और न्याय में जो कुछ भी हासिल किया जा सकता था या किसी पक्षकार की अपनी निष्क्रियता, लापरवाही या लापरवाही से जो कुछ भी खो सकता था, उसमें व्यवधान या वंचितता को रोकती है। (पोपट और कोटेचा प्रॉपर्टी बनाम एसबीआई स्टाफ एसोसिएशन, राजेंद्र सिंह बनाम सांता सिंह और पुंडलिक जालम पाटिल बनाम जलगांव मीडियम प्रोजेक्ट देखें।)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> *14. पी. रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य* में इस न्यायालय ने माना कि न्यायिक रूप से सीमा के सिद्धांतों को लागू करना कानून बनाने के बराबर है और यह *अब्दुल रहमान अंतुले बनाम आर.एस. नायक* में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत होगा।
>
> *15.* इस विवाद्यक पर कानून को इस तरह से संक्षेपित किया जा सकता है कि जहां कोई मामला सीमा से परे अदालत में पेश किया गया है, आवेदक को अदालत को यह बताना होगा कि "पर्याप्त कारण" क्या था, जिसका अर्थ है कि एक पर्याप्त और यथोचित कारण जिसने उसे सीमा के भीतर अदालत का दरवाजा खटखटाने से रोका। यदि कोई पक्षकार प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में लापरवाह या सद्भावनाहीन पाया जाता है, या पाया जाता है कि उसने मेहनत से काम नहीं किया या निष्क्रिय रहा, तो देरी को माफ करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं हो सकता। कोई भी अदालत किसी भी शर्त को लागू करके इस तरह की अत्यधिक देरी को माफ करने में उचित नहीं हो सकती। आवेदन पर केवल इस न्यायालय द्वारा देरी की माफी के संबंध में निर्धारित मापदंडों के भीतर ही निर्णय लिया जाना है। यदि किसी वादी को समय पर अदालत आने से रोकने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो बिना किसी औचित्य के देरी को माफ करना, कोई भी शर्त कर, वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आदेश पारित करने के बराबर है और यह विधायिका के प्रति पूर्ण उपेक्षा दिखाने के समान है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

59. इसी तरह, केवल इसलिए कि सरकार शामिल है, देरी को माफ करने के लिए कोई अलग मानदंड निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह *पोस्टमास्टर जनरल बनाम लिविंग मीडिया (इंडिया) लिमिटेड ["पोस्टमास्टर जनरल"]* में इस प्रकार स्पष्ट रूप से कहा गया था: (एससीसी पृष्ठ 573–74, पैरा 27–29)

> "*27.* यह विवाद का विषय नहीं है कि संबंधित व्यक्ति (व्यक्तियों) को इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करके प्रकरण को लेने के लिए निर्धारित समय–सीमा सहित शामिल मुद्दों की अच्छी जानकारी थी या वे इससे परिचित थे। वे यह दावा नहीं कर सकते कि जब विभाग के पास न्यायालय की कार्यवाही से परिचित सक्षम व्यक्ति थे, तो उनके पास अलग से समय–सीमा थी। उचित और स्वीकार्य स्पष्टीकरण के अभाव में, हम यह सवाल उठा रहे हैं कि देरी को केवल इसलिए यांत्रिक रूप से माफ क्यों किया जाए, क्योंकि सरकार या सरकार की कोई शाखा हमारे समक्ष पक्षकार है।
>
> *28.* यद्यपि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि जब कोई घोर लापरवाही या जानबूझकर की गई निष्क्रियता या सद्भावना की कमी नहीं थी, तो देरी

के लिए क्षमा के प्रकरण में पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाने के लिए एक उदार रियायत अपनानी होगी, हमारा मानना है कि तथ्यों और परिस्थितियों में, विभाग विभिन्न पूर्व निर्णयों का लाभ नहीं उठा सकता है। आधुनिक तकनीकों के उपयोग और उपलब्ध होने के मद्देनजर कई नोट बनाने की अवैयक्तिक मशीनरी और विरासत में मिली नौकरशाही पद्धति के कारण दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। परिसीमा का कानून निस्संदेह सरकार सहित सभी को बांधता है।

29. हमारे विचार में, सभी सरकारी निकायों, उनकी एजेंसियों और साधनों को सूचित करने का यह सही समय है कि जब तक उनके पास देरी के लिए उचित और स्वीकार्य स्पष्टीकरण न हो और सद्भावनापूर्ण प्रयास न किया गया हो, तब तक सामान्य स्पष्टीकरण को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि प्रक्रिया में काफी हद तक प्रक्रियात्मक लालफीताशाही के कारण फाइल कई महीनों/वर्षों तक लंबित रही। सरकारी विभागों का यह विशेष दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि वे अपने कर्तव्यों का पालन परिश्रम और प्रतिबद्धता के साथ करें। देरी के लिए माफ़ी एक अपवाद है और इसका इस्तेमाल सरकारी विभागों के लिए प्रत्याशित लाभ के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। कानून सभी को एक ही नज़रिए से देखता है और इसे कुछ लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. मध्यस्थ ने प्रारंभ में ई-मेल दिनांक 2-9-2022 के माध्यम से अधीक्षण अभियंता को पंचाट पारित करने के बारे में सूचित किया। ई-मेल से भेजे गए संचार से पता चलता है कि इस तरह के पंचाट की सूचना के अलावा यह भी कहा गया था कि पंचाट दोनों पक्षों को पावती के साथ पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा गया है और प्रमाण प्रेषण भी कवरिंग पत्र के साथ संलग्न किया गया था। चूंकि उक्त पंचाट पंजीकृत डाक से भेजा गया था, आरटीआई अधिनियम के तहत बाद में उत्तरवादी ने डाक विभाग से ऐसे पत्र की तामिली के बारे में जानकारी प्राप्त की, जो दर्शाता है कि अपीलार्थी अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग सर्कल, पीडब्ल्यूडी, रायपुर को असाइनमेंट प्राप्त हुआ है। मध्यस्थ द्वारा भेजे गए ई-मेल दिनांक 8-9-2022 से पता चलता है कि उनके द्वारा यह सूचित किया गया था कि पंचाट की मूर्त प्रतिलिपि दोनों पक्षों को पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज दी गई है। और चूंकि दावेदार द्वारा सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करने का अतिरिक्त अनुरोध किया गया था, इसलिए पंचाट की सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ प्रारूप में दोनों पक्षों को भेज दी गई।

16. नागेश कुमार जयंत, मुख्य अभियंता जो दिनांक 13-6-2022 से 17-10-2022 के मध्य, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत थे ने वाणिज्यिक न्यायालय में प्रस्तुत अपने शपथ पत्र में यह कथन किया है कि दिनांक 7-9-2022 को एक तीसरे व्यक्ति जो अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में कार्यरत नहीं था, ने पंचाट की छाया प्रति उन्हें दस्ती से सौंपी थी। उन्होंने इसकी कोई

रसीद नहीं दी तथा उक्त फोटो कॉपी पर निशान लगाकर मिथलेश कुमार साहू नामक व्यक्ति को रखने के लिए दे दी।

17. अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में पदस्थ गुरुदेव प्रसाद डहरिया, ए.जी III के दिनांक 16–3–2023 के पत्र ने अधीक्षण अभियंता को किए गए संचार में कहा कि पंचाट की मुख्य प्रति उन्हें 7–9–2022 को पंजीकृत डाक से प्राप्त हुई और प्राप्ति के बाद, उन्होंने उसे तत्कालीन अधीक्षण अभियंता एन.के जयंत को भेज दिया। उक्त पत्र अभिलेख में है। आगे गुरुदेव प्रसाद डहरिया, जो अपीलार्थी के कार्यालय में ए.जी III थे, के पत्र में यह अभिप्राय है कि कार्यालय प्रक्रिया के अनुसार जो भी डाक रसीदें प्राप्त होती हैं उन्हें पृष्ठांकन द्वारा प्राप्त किया जाता है और उसके बाद अंकन के लिए एस.ई. के समक्ष रखा जाता है। संचार का विषय विशेष रूप से 2–9–2022 के पंचाट और उसकी प्राप्ति से संबंधित है। पत्र में विशिष्ट विवरण एवं ब्योरा था, जो अधीक्षण अभियंता को अग्रेषित किया गया।

18. जहां तक **ए.आर.के बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालये द्वारा दिए गए निर्णय पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिए गए अवलंब का सवाल है, उक्त फैसले का तात्पर्य है कि अधिनियम, 1996 की धारा 34(3) के तहत निर्धारित सीमा की अवधि केवल उस तारीख से शुरू होगी, जिस दिन पंचाट की एक हस्ताक्षरित प्रति धारा 34(1) के तहत पंचाट को अपास्त करने के आवेदन दायर करने वाले पक्ष को दी जाती है/प्राप्त की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह निर्धारित किया कि यदि कानून यह विहित करता है कि आदेश/निर्णय की एक प्रति संबंधित पक्षों को किसी विशेष तरीके से संप्रेषित, वितरित, प्रेषित, अग्रेषित, प्रस्तुत या भेजी जानी है और यदि कानून पीड़ित पक्ष द्वारा प्रश्नगत आदेश/निर्णय को चुनौती देने के लिए सीमा की अवधि भी निर्धारित करता है, तो सीमा की अवधि केवल उस तारीख से शुरू हो सकती है जिस तारिख को संबंधित पक्ष को विधि में विहित तरीके से पंचाट की प्रति प्राप्त होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. अधिनियम, 1996 की धारा 31(5) के अनुसार मध्यस्थता पंचाट दिए जाने के बाद, प्रत्येक पक्ष को हस्ताक्षरित प्रति प्रदान की जाएगी। अपीलार्थी का यह तर्क कि उसे पंचाट की हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त नहीं हुई है, डाक रसीद और दिए गए विरोधाभासी बयानों से नकार दिया गया है।

20. जैसा कि इस न्यायालय ने ***यूनियन ऑफ इंडिया बनाम भोला प्रसाद अग्रवाल एवं अन्य***[10] के प्रकरण में निर्धारित किया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण अपनाया है कि अंतिम निर्णय की हस्ताक्षरित प्रति पक्षकारों द्वारा प्राप्त करने की केवल एक ही तिथि होती है, जिससे आपत्तियां दर्ज करने के लिए समय–सीमा शुरू होती है। निर्णय पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद ही उसे अंतिम माना जा सकता है, क्योंकि निर्णय पर हस्ताक्षर करने से निर्णय को कानूनी प्रभाव और अंतिमता मिलती है। वर्तमान प्रकरण में, यह विवाद का विषय नहीं है कि निर्णय पर 2–9–2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। अपीलार्थी का तर्क है कि यह उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था।

---
[10] ARBA No. 15 of 2022 (decided on 21-09-2022)

21. उत्तरवादी के अनुसार दिनांक 2–9–2022 को अवार्ड पर हस्ताक्षर होने के बाद, इसे ई– मेल द्वारा पक्षों को सूचित किया गया था और अवार्ड की प्रति पंजीकृत डाक द्वारा भेजी गई थी। अधीक्षण अभियंता के दिनांक 11–3–2023 (अनुलग्नक–आर/54) के पत्र से यह पता चलता है कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार कार्यालय को पंचाट प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त आदेश को कार्यालय ने पहली बार वाणिज्यिक न्यायालय, नवा रायपुर द्वारा जारी नोटिस में देखा था। अपीलार्थी द्वारा जारी पत्र के अनुसरण में अधीक्षण अभियंता को किए गए मध्यस्थ के दिनांक 14–3–2023 (अनुलग्नक–आर/55) के संचार से इंडिया पोस्ट कंसाइनमेंट नंबर RK792604517IN के माध्यम से पंचाट भेजने का प्रमाण मिलेगा। यह सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त एस.नं. से पुष्टि करता है कि 70 आरके792604517 आईएन खेप अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त, पीडब्ल्यूडी, रायपुर द्वारा 7–9–2022 को प्राप्त की गई थी।

22. सर्वोच्च न्यायालय ने साधारण खंड अधिनियम की धारा 27 के संदर्भ में टिप्पणी की है कि इसमें शामिल सिद्धांत को ऐसे प्रकरण में लाभदायक रूप से लागू किया जा सकता है, जहां प्रेषक ने सही पता लिखकर डाक से नोटिस भेजा हो। तब यह माना जा सकता है कि इसे प्राप्तकर्ता को तामील कर दिया गया है, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि यह वास्तव में तामील नहीं हुआ था और वह इस तरह की गैर–तामील के लिए जिम्मेदार नहीं था। (देखें: **डी. विनोद शिवप्पा बनाम नंदा बेलिअप्पा**[11])।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

23. अजीत सीड्स लिमिटेड बनाम के. गोपाल कृष्णैया[12] प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः दोहराया कि जी.सी.अधिनियम की धारा 27 यह अवधारणा उत्पन्न करती है कि नोटिस की तामील तब प्रभावी हो जाती है जब इसे पंजीकृत डाक द्वारा सही पते पर भेज दिया जाता है। (यह भी देखें: सी.**सी.अल्लावी हाजी बनाम पलापेट्टी मुहम्मद और अन्य**[13])।

24. इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 17–3–2023 (अनुलग्नक–आर/59) के एक पत्र का संदर्भ दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि पंजीकृत डाक की प्राप्ति के बारे में संबंधित प्राप्ति लिपिक से स्पष्टीकरण मांगा गया है और जांच चल रही है। कार्यालय प्रक्रिया के अनुसार, प्राप्ति लिपिक को जो भी पत्र प्राप्त होता है, उसे अधीक्षण अभियंता के समक्ष रखा जाना चाहिए और अंकन के बाद उसे प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए, हालांकि, इसके बारे में कोई प्रविष्टि नहीं की गई।

25. वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष दायर एस.एस.मांझी के दिनांक 11–7–2023 के शपथ पत्र में कथन है कि डाक की प्राप्ति में 7–9–2022 की प्रविष्टि 19–8–2022 के पत्र के संबंध में थी न कि किसी पंचाट के संबंध में। उत्तरवादी ने 19–8–2022 के पत्र की प्रति पेश की है। उक्त पत्र में नीचे अधीक्षण अभियंता द्वारा प्राप्ति, दिनांक 24–8–2022 को प्राप्त होना बताया गया है। अपीलार्थी द्वारा कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसके विपरीत, 7–9–2022 की रसीद उत्तरवादी द्वारा

---
[11] (2006) 6 SCC 456
[12] (2014) 12 SCC 685
[13] (2007) 6 SCC 555

डाक विभाग से आरटीआई के तहत प्राप्त एक पंजीकृत/एडी खेप के बारे में है, जो दर्शाती है कि यह पंजीकृत/एडी के पत्र की विशेष खेप के लिए थी, जिसका विशेष एस.नं. आरके792604517 आईएन था। मध्यस्थ द्वारा डाक रसीद द्वारा भेजी गई डाक रसीद से उक्त एस नं. मेल खाता है और यह मध्यस्थ के पत्र (अनुलग्नक-आर/55) में दर्शाया गया है। इसलिए, अपीलार्थी ने पंचाट न मिलने के तर्क का समर्थन करने के लिए सबूत बनाने और छिपाने की कोशिश की, जिसकी बिल्कुल भी सराहना नहीं की जा सकती।

26. 20-3-2023 (अनुलग्नक-आर/63) के अधीक्षण अभियंता के पत्र में महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी गई थी, जिसमें मध्यस्थ की सराहना की गई थी। हालांकि, बाद में, दिनांक 24-3-2023 (अनुलग्नक आर/66) के पत्र में अपीलार्थी द्वारा अपना रुख पूरी तरह बदल लिया गया, जिससे पता चलता है कि महाधिवक्ता के कार्यालय से राय प्राप्त होने के बाद अपीलार्थी ने दलील दी कि पंचाट की हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त नहीं हुई थी और पंचाट की केवल छायाप्रति प्राप्त हुई थी। यह भी कहा गया कि अंतिम मध्यस्थ पंचाट पर भी हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, जो प्राप्त हुआ था। पंचाट की उक्त अहस्ताक्षरित छायाप्रति अभिलेख में नहीं है।

27. यदि दिनांक 24-3-2023 के पत्र में अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह था कि उनके पास अहस्ताक्षरित पंचाट की छायाप्रति है, तो उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, क्योंकि यह पंचाट की प्राप्ति और/या गैर-प्राप्ति के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए एकमात्र प्रासंगिक दस्तावेज था। यदि उक्त दस्तावेज, जो विवाद के लिए महत्वपूर्ण है, अपीलार्थी द्वारा रोक लिया गया है, तो प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना आवश्यक है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

28. ***भारत संघ बनाम इब्राहिम उद्दीन और अन्य***[14] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 12 में इस प्रकार कहा:

> 12. सामान्यतः, पक्षकार का यह कर्तव्य है कि वह अपने पास उपलब्ध सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत करे, जो विवादग्रस्त मुद्दे पर प्रकाश डाल सके और यदि ऐसा भौतिक साक्ष्य छिपाया जाता है, तो न्यायालय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 दृष्टांत (जी) के अंतर्गत प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकता है, भले ही ऐसे पक्षकार पर सबूत पेश करने का भार न हो और उसे उक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा गया हो। (देखें: मुरुगेसम पिल्लई बनाम मणिकावासका पंडारा; हीरालाल बनाम बड़कुलाल; ए. राघवम्मा बनाम ए. चेन्चम्मा; भारत संघ बनाम महादेवलाल प्रभु दयाल; गोपाल कृष्णजी केतकर बनाम मोहम्मद हाजी लतीफ; बीएचईएल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य; मुसाउद्दीन अहमद बनाम असम राज्य; और खत्री होटल्स (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ।

29. ***अजय कुमार डी. अमीन बनाम एयर फ्रांस***[15] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 7 में निर्धारित किया है कि:

[14] (2012) 8 SCC 148
[15] (2016) 2 SCC 566

> 7. पुनः, उक्त प्रस्ताव के समर्थन में, लेखा आयुक्त ने *गोपाल कृष्णजी केतकर बनाम मोहम्मद हाजी लतीफ* में इस न्यायालय के निर्णय पर अवलंब लिया, जिसमें इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114(जी) और 103 के तहत, यदि कोई पक्ष विवाद में विवाद्यक पर प्रकाश डालने वाले सर्वोत्तम साक्ष्य को अपने पास रोक कर रखता है, तो न्यायालय को उसके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना चाहिए, भले ही उस पर सबूत पेश करने का दायित्व न हो और पक्ष सबूत पेश करने के दायित्व के अमूर्त सिद्धांत या इस तथ्य पर भरोसा नहीं कर सकता कि उसे इसे पेश करने के लिए नहीं कहा गया था।

30. हमारे समक्ष किसी भी दस्तावेज के अभाव में यह स्पष्ट है कि मध्यस्थ द्वारा किया गया संचार, जिसमें कहा गया था कि निर्णय की प्रति पर हस्ताक्षर किए गए थे तथा उसे पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा गया था, सही प्रतीत होता है।

31. ***युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, बंदरगाहों के विभाग, भारत सरकार*** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण से हस्ताक्षरित पंचाट की छायाप्रति की प्राप्ति को भी अधिनियम, 1996 की धारा 31(5) के अनुसार माध्यस्थम पंचाट की प्राप्ति माना गया है। उक्त निर्णय का पैरा 46 नीचे उद्धृत है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> 46. मध्यस्थ न्यायाधिकरण से हस्ताक्षरित पंचाट की फोटोकॉपी की प्राप्ति को भी मध्यस्थता अधिनियम की धारा 31(5) के अनुसार मध्यस्थ पंचाट की प्राप्ति माना गया है। यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 में पंचाट की स्याही से हस्ताक्षरित प्रति दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, कॉन्टिनेंटल टेलीपावर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ के प्रकरण में, यह निम्नानुसार माना गया है:
>
>> "14. मुझे यह भी लगता है कि विधायिका ने मध्यस्थता कानून को फिर से लागू करते समय 1940 अधिनियम में विद्यमान प्रावधान में सचेत बदलाव किया है। 1940 अधिनियम की धारा 14(1) के अनुसार मध्यस्थों को केवल पंचाट बनाने और उस पर हस्ताक्षर करने तथा उसके बनाने और हस्ताक्षर करने की लिखित सूचना पक्षों को देने की आवश्यकता थी। अधिनियम की धारा 31(5) के अनुसार इसमें कोई आवश्यकता नहीं थी कि पंचाट बनाने पर, धारा 31(5) के अनुसार मध्यस्थता के प्रत्येक पक्ष को उसकी हस्ताक्षरित प्रति दी जाए। 1940 अधिनियम की धारा 14(2) के अंतर्गत, मध्यस्थता के पक्षकार को मध्यस्थ से पंचाट या उसकी हस्ताक्षरित प्रति मध्यस्थता अभिलेख के साथ न्यायालय में दाखिल करने का अनुरोध करना था, तथा उसके पश्चात न्यायालय को पंचाट दाखिल करने की सूचना पक्षों को देना आवश्यक था। पंचाट को निष्पादन योग्य होने से पहले न्यायालय का नियम बनाना आवश्यक था। हालांकि, 1996

अधिनियम के अंतर्गत, पंचाट निष्पादन योग्य है। इस तरह, इसके संबंध में आपत्तियां दाखिल करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद। चुनौती के आधार काफी सीमित कर दिए गए हैं। कानून ने, उस समय को सीमित करने के उद्देश्य से जिसके बाद पंचाट न्यायालय की डिक्री के रूप में निष्पादन योग्य हो जाता है, न्यायालय में पंचाट दाखिल करने के लिए याचिका के संबंध में सीमा अधिनियम की धारा 5 के आवेदन को समाप्त कर दिया है। बल्कि धारा 34(3) के प्रावधान में "लेकिन उसके बाद नहीं" अभिव्यक्ति का उपयोग करके, इरादा स्पष्ट है, पंचाट के निष्पादन को निलंबित अवस्था में रहने की अनुमति नहीं देना। मेरे विचार में, यदि यह माना जाता है कि मध्यस्थ द्वारा हस्ताक्षरित पंचाट की फोटोकॉपी उसके प्रमाणीकरण के साक्ष्य के रूप में उसके द्वारा हस्ताक्षरित पत्र के कवर के साथ दी गई है, यह धारा 31(5) का पर्याप्त अनुपालन नहीं है, तो इससे निष्पादन में और धारा 34(3) के तहत याचिका दाखिल करने में अनिश्चितकालीन देरी होगी और पंचाट तब तक निष्पादन योग्य नही होगा। इस तरह की व्याख्या मध्यस्थता मामलों में लाभ में बाधा बनेगी, जो कानून में बदलाव लाने के पीछे का उद्देश्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. मैंने हाल ही में अक्टीबोलागेट वोल्वो बनाम आर. वेंकट चालम, (2009) 160 डीएलटी 100 में सीपीसी के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या पर यह माना है कि आदेश 7 नियम 14 और आदेश 8 नियम 1ए में दस्तावेजों को दाखिल करने की आवश्यकता का मतलब मूल दस्तावेज नहीं है और इसके अनुपालन में, दस्तावेजों की प्रतियां/फोटोकॉपी दाखिल करना पक्षकारों के लिए खुला है। निरीक्षण के लिए मूल दस्तावेज को "फाइल" करने से अलग "पेश" करने की आवश्यकता केवल साक्ष्य में दस्तावेजों की स्वीकृति प्रस्तुत करने के चरण में है। उस संदर्भ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में एक दस्तावेज की परिभाषा को भी नोट किया गया था जिसमें मुद्रित, लिथोग्राफ या फोटोग्राफ किए गए शब्द शामिल थे।

16. सर्वोच्च न्यायालय प्राथमिक के साथ-साथ द्वितीयक साक्ष्य के अर्थ को भी विस्तारित करता आ रहा है। पृथी चंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (1989) 1 एससीसी 432: एआईआर 1989 एससी 702 में यह माना गया है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र की कार्बन कॉपी, जिस पर मूल पर डॉक्टर द्वारा किए गए हस्ताक्षरों की कार्बन कॉपी भी हो, साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के अर्थ में प्राथमिक साक्ष्य है और निचली अदालतों के अन्यथा दिए गए निर्णयों को खारिज कर दिया गया। इसी तरह, वाई.एन. राव बनाम वाई.वी. लक्ष्मी, 1991 आरएलआर 367 (एससी) में दस्तावेज की प्रतिलिपि को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 के अर्थ में द्वितीयक साक्ष्य माना गया है। प्रतिलिपि होने के कारण विदेशी निर्णय और डिक्री को देखने से

इन्कार करने वाले उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज कर दिया गया।

17. अधिनियम में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो पक्षकारों को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में पंचाट प्रस्तुत करने की आवश्यकता को इंगित करता हो, यदि कानून में ऐसा प्रावधान किया गया है कि "स्याही से हस्ताक्षरित" पंचाट की आवश्यकता होगी, तो मेरी राय में, इससे देरी होगी और बेईमान मुकदमेंबाजों को यह तर्क देकर पंचाट के निष्पादन में अनिश्चित काल के लिए देरी करने का मौका मिलेगा कि पंचाट की हस्ताक्षरित प्रतियां वितरित नहीं की गई हैं।

18. कानून को बदलती प्रौद्योगिकियों के साथ विकसित होना होगा। आज के समय में मध्यस्थ से पंचाट की प्रत्येक प्रति पर हस्ताक्षर करवाना अनुचित होगा, खासकर जब प्रतिलिपि आम बात हो गई है और यह स्वीकार्य तरीका है।

xxx xxx xxx

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए तथा ऊपर वर्णित कारणों से हमारा यह मत है कि पंचाट पर मध्यस्थ द्वारा विधिवत् हस्ताक्षर किए गए थे तथा उसे अधिनियम, 1996 की धारा 31(5) के अनुसार अपीलार्थी को प्रदान किया गया था, लेकिन विरोधाभासी बयान दिए गए तथा अपीलार्थी द्वारा गलत आधार पर पंचाट को निरस्त करने के लिए अलग रुख अपनाया गया। उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर हम पाते हैं कि विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय, नवा रायपुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश न्यायसंगत तथा उचित है, जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

33. परिणामस्वरूप, वर्तमान अपील (माध्यस्थम अपील क्र. 51/2023), सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य होने से खारिज की जाती है तथा पक्षकार अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

सही /–	सही /–
(गौतम भादुड़ी)	**(संजय एस. अग्रवाल)**
न्यायधीश	**न्यायधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

HEAD NOTE

Presumption- Section 27 of the General Clauses Act gives rise to a presumption that service of notice has been effected when it is sent to the correct address by registered post.

उपधारणा- धारा 27 साधारण खण्ड अधिनियम यह उपधारित करती है कि सूचना तामील हुई तब समझी जायेगी जब इसे सही पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज दी गई हो।

Limitation:- When specific limitation period is prescribed under the Arbitration and Conciliation Act. 1996 no further extention of time can be provided by the Court to challange an award.

परिसीमा - जब माध्यस्थम और सूलह अधिनियम, 1996 में विनिर्दिष्ट परिसीमा अवधि निर्धारित हो तो पंचाट को चुनौती देने के लिये न्यायालय द्वारा अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जा सकता।

Delay- Merely because Government is involved, a different yardstick for condonation of delay cannot be laid down.

थ्वलम्ब – केवल इसलिए कि शासन सम्मिलित है, विलम्ब की माफी के लिए कोई अलग मानदंड निर्धारित नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**